

करमाया जावे।

खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे ता कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मतेबा कहा की वादी के एक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

इसलिए वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का एक हिस्सा है जिसे हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 7, ता 11 की बादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने एक प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है

संख्या 1 के साथ बराबर का एक हिस्सा है।  
 जिसके कारण पूर्वक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी दादा गोपाल पुत्र पीया के देहान्त होने के बाद विरस्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

श्री वादी के दादा गोपाल पुत्र पीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गोपाल पुत्र पीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

433 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा एवं शही मौजा मन्दरपुरा के खता संख्या 101/119 की कुल 16.4150 हैव में की शही मौजा मन्दरपुरा के खता संख्या 100/116 की कुल 9.660 हैव में संयुक्त तौर से राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया

सक्षम में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जसिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत

निर्णय दिनांक :- 18/3/2020

प्रशिक्षण राज

उपरिखत : श्री नरेश किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 प्रतिवादीगण

12. राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

9. निरदावरी 10 सावित्री 11 सुन्दर पुत्रीया गोपाल जाति जाट साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

7. सुमन 8. गुलकी उर्फ सुनिता पुत्रीया ख अमरसिंह जाति मेघवंशी साकिन मन्दरपुरा नोहर जिला हनुमानगढ़।

5. काश्यप 6. मणीलाल पि 0 अमरसिंह जाति मेघवंशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4. श्यामी पत्नी अमरसिंह जाति मेघवंशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2. नौरालाल 3 अर्जुनराम पि 0 गोपाल जाति मेघवंशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1. गोपाल पुत्र पीयाराम जाति मेघवंशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

हनुमानगढ़।

1. बनवारी पुत्र गोपाल जाति मेघवंशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला

अन्वयन :-

वाद सं 0 : 850 सन 2019

पीठाधीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर 000940)

राजस्थान काशतकार कलक्टर एवं उपसहाय्य अधिकारी (राजस्व) नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज एजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर इकबाल दावा का वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया की उम्मीद थी कि उन्हीने अपने वाद में अतिक्रमण का दावा प्रस्तुत होने के कारण उनकी आवश्यकता नहीं रही साथ में वादी ने अपना दावा पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा निरह नहीं करने के कारण निरह शून्य रही तदनुसार उम्मीद की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अतिक्रमण का दावा प्रस्तुत करने के कारण प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी आवश्यकता नहीं करने के कारण निरह शून्य रही तदनुसार उम्मीद की बहस सुनी गई।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गोपाल पुत्र पीथा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गोपाल पुत्र पीथा के देहान्त होने पर वाद विरासन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गोपाल पुत्र पीथा के देहान्त होने के बाद विरासन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसके कारण पूर्वक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का एक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7, ता 11 की यादी ही युकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने एक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का एक हिस्सा है जिसमें राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकांसी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दखान आर.बी.जे. 1998 पृष्ठ 615 एवं आरआरजी वर्ष 1998 पृष्ठ 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खतरेदार कार्रवार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को खानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद लिकी करमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादागर्द/पूर्वक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साथ सर्वांगों के आधार पर राज्यदको को सुरक्षित रखते हुए वाद को निस्तारण करमावे।

हमने उम्मीद की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी मन्टरपुरा के खता संख्या 100/116 की कुल 9.660 हैव में समुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं वादी मौजा मन्टरपुरा के खता संख्या 101/119 की कुल 16.4150 हैव

नाहर से कम की जाकर बाद तत्पश्चात् तत्कालीन जागा दाखिल दफ्तर हो ।  
 वहन करने। इसी आशय की पूर्वा दिक्की जाती की जाकर शामिल मिमल की गई पत्रावली  
 ती बाद इर्ष्यानागाह राजस्थान रिकार्ड में अंकन किया जावे अथवा बाद उपयुक्त अपना अपना  
 के सतान 5000/- रु स्टाम्प तत्कालीन शामिल किया जावे। यदि मूँस बैंक के रहन हो  
 खातेदार कासतकार है इसी अनुसार राजस्थान रिकार्ड में अंकन करने हेतु इर्ष्यानागाह पत्र  
 प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 1/10 हिस्सा  
 प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/10 हिस्सा,  
 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा मूँस दर्ज है में वादी अकेला 1/10 हिस्सा,  
 कासतकार है एवं यही मौजा मन्सूरपुरा के खाला संख्या 100/116 की कुल 9.660 हैव  
 प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/5 प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 1/5 हिस्से के खातेदार  
 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा  
 कुल 16.450 हैव मूँस में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 433 हिस्सा में वादी अकेला 1/5  
 किया जाकर धारणा की जाती है कि यही मौजा मन्सूरपुरा के खाला संख्या 101/119 की  
 साक्ष्य सर्तों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण दिक्की  
 करने एवं धोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत  
 अतः वादी के वादी की प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार  
 न्यायवित है ।  
 किये जाने के कारण राजस्थान की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी  
 होने के कारण काबिल दिक्की है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 में अपने हकों का त्याग  
 सर्त एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों की प्रकरण पर संस्था होने के आधार पर वाद वादी साबित  
 वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य  
 तत्पश्चात् किया जाकर शामिल मिमल किया जा चुका है ।  
 का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में डेकबाल भी पेश किया जा चुका है जो  
 हिस्सा की मूँस है जिसे उनके नाम में राजस्थान रिकार्ड में दर्ज की जाती है जो किसी प्रकार  
 पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये बाद मूँस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के  
 किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की मूँस का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के  
 , 7 ता 11 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन  
 में अपने हक हिस्सा की मूँस का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या  
 प्रतिवादी संख्या 5, 6 की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रतिवादी संख्या 1 की बहन  
 एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री तथा प्रतिवादी संख्या 7, 8 प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री व  
 वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9, 10 वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 की बहन  
 1 ता 11 बहिब के हकदार है ।  
 पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद मूँस में वादी व प्रतिवादी संख्या  
 6, 8 के अनुसार धैरक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में  
 से दर्ज होने के कारण धैरक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा  
 संख्या 1 के नाम में राजस्थान रिकार्ड में दर्ज हुई है विरसन से मूँस वादी के पिता के नाम  
 दादा धीमा वन्द डुंगर के देहान्त होने के बाद विरसन से वाद मूँस वादी के पिता प्रतिवादी  
 दर्ज थी अर्थात् वाद मूँस पूर्व में वादी के दादा धीमा वन्द डुंगर के नाम से दर्ज है वादी के  
 नाम से 2038 के अनुसार वाद मूँस धीमा वन्द डुंगर के नाम से  
 जमाबन्दी समत 2029 से 2038 के अनुसार वाद मूँस धीमा वन्द डुंगर के नाम से  
 दर्ज है ।  
 में 433 हिस्सा मूँस वर्तमान राजस्थान रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से

सुनाया गया ।

निर्णय आज दिनांक 18/3/2020

को भरे द्वारा लिखाया जाकर बसने ईजलास में

**पर्वा डिक्री**

( आर्डर 20, कल 6-7 जाब्ला दिवानी )  
**स्वाशासन्य सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनगन :-

1. बनवाही पुत्र गोपाल जाति भैरवशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बादी

बनाम

- 1 गोपाल पुत्र धीशाराम जाति भैरवशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 नौरागल 3 अर्जनराम पि० गोपाल जाति भैरवशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 3 रेशनी पत्नी अमरसिंह जाति भैरवशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।
- 5 कारियम 6. मांगीलाल पि० अमरसिंह जाति भैरवशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सुमन 8. रजकी चर्क सुनिता पुत्रीया स्व अमरसिंह जाति भैरवशी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. निरदावरी 10 सावित्री 11 सुन्दर पुत्रीया गोपाल जाति जाट साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जारिय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

**बाद अन्तगत धारा 88, राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व बाद संख्या 850 तारीख 2019 निर्णय दिनांक - 18/08/2020**

आज यह बाद मुझ खती कावर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता बादी एवं परकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने

पर बाद बादी साहय सर्जनी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के

कारण बादी डिक्री किया जाकर धीमा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाला

संख्या 101/119 की कुल 16.4150 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 433 हिस्सा

में बादी अकेला 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2

अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/5 प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 बाहिब

1/5 हिस्से के खातेदार कायदाकार है एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाला संख्या 100/116

की कुल 9.660 हेक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है में बादी अकेला

1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/10

हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बाहिब 1/10

हिस्सा के खातेदार कायदाकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय

प्रार्थना पत्र के सलान 5000/- के स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के

रहन ही तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उपयुक्त अपना

अपना वहन करेगा

पर्वा डिक्री आज दिनांक 18/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी

की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
 नोहर ( हनुमानगढ )